13-4-15 पत्रावली पेश हुई/ ~~वकील वादी~~/ वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब दौरे पर है। ~~अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है~~ अतः पत्रावली दि० 20-4-15 को पेश हो। गवाह नवल माली व रामधन माली उपस्थित है। रीडर

20-4-15
पत्रावली पेश हुई/ ~~वकील वादी~~/ वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब दौरे पर है। ~~अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है~~ अतः पत्रावली दि० 18-5-2015 को पेश हो। गवाह रामधन उपस्थित है। रीडर

18-5-15 पत्रावली पेश हुई/ वकील वादी/ वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब दौरे पर है। अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली दि० 2-6-15 कैम्प अमरगढ़ को पेश हो। रीडर

2-6-15 कैम्प अमरगढ़

पत्रावली आज लोक अदालत में कैम्प अमरगढ़ पर पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण को समझाइश की गई। वादी एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया। राजीनामे में पक्षकारों ने अंकित किया है कि ख०नं० 988, 989 ग्राम मालियों की चौकी की नाप नायब तहसीलदार की टीम बनाकर करवा दी जावे। नाप में जिस पक्ष के दूसरे पक्ष की जमीन दबी हुई निकलती है तो दूसरा पक्ष उस दबी हुई भूमि को वापस उस पक्ष को दे देगा जिस पक्ष की भूमि दबी हुई है। वादी अपना दावा वापस लेता है। इसी अनुसार निर्णय कर दिया जावे।

अतः पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार ख०नं० 988, 989 ग्राम मालियों की चौकी की नाप नायब तहसीलदार तलावड़ा

मु०नं० 54/2004 मोतीलाल बनाम रामधन वगैरा 8

नम्बर तारीख अहकाम हुक्म	दावा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के नेतृत्व में टीम बनाकर करवाने का आदेश दिया जाता है। नाप में जिस पक्ष के दूसरे पक्ष की जमीन दबी हुई निकलती है तो वह पक्ष उस दबी हुई भूमि को तुरन्त दूसरे पक्ष को दे देगा। इसी अनुसार दावा निर्णित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रा० फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (रवि कुमार शर्मा, Adv.) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

नम्बर
अहका
हुक्म
में ज

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) अमरगढ

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

मोतीलाल पुत्र छाज्या, माली निवासी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. रामधन पि.मु. कोरया माली निवासी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
2. हरी पुत्र रामधन माली निवासी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
3. काडू पुत्र रामधन माली निवासी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
4. सुरज्ञान पुत्र रामधन माली निवासी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
5. लच्छी पुत्र जगन्या माली निवासी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
6. मंगल पुत्र छाज्या माली निवासी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
7. जोहरया पुत्र छाज्या माली निवासी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 54/2004

वादी की ओर से वादी मोतीलाल की व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी रामधन, हरी, काडू, सुरज्ञान, लच्छी, मंगल की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 02.06.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार ख0न0 988, 989 ग्राम मालियो की चौकी की नाप नायब तहसीलदार तलावडा के नेतृत्व में टीम बनाकर करवाने का आदेश दिया जाता है। नाप में जिस पक्ष के दूसरे पक्ष की जमीन दबी हुई निकलती है तो वह पक्ष उस दबी हुई भूमि को तुरंत दूसरे पक्ष को दे देगा। इसी अनुसार दावा निर्णित किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 02.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	